

ब्यूज टुडे

महासागर-आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) डीकार्बोनाइजेशन हेतु एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान कर सकता है

इसके तहत स्टोर की गई कार्बन को समुद्र के नीचे तेल और गैस के कुओं या जलभृतों में भंडारित किया जाता है। यह तरीका विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने के एक समाधान के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।

महासागर आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के बारे में

- इसमें बड़े उत्सर्जन स्रोतों जैसे थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट या स्टील उद्योग से निकले CO₂ को कैप्चर किया जाता है। फिर उस CO₂ को समुद्र के भीतर या गहरे समुद्री तलछट में जमा या स्टोर कर दिया जाता है, ताकि वह वातावरण में न जाए।

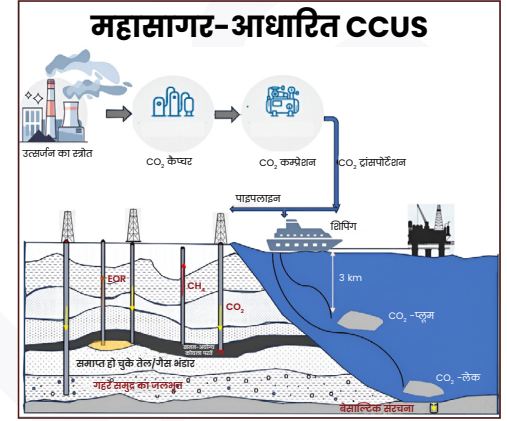
इससे संबंधित प्रमुख तकनीकें

- महासागर क्षारीयता संवर्धन (Ocean Alkalinity Enhancement: OAE): इसमें समुद्र के पानी में CO₂ अवशोषण की गति बढ़ाने के लिए चुने जैसे पिसे हुए खनिज मिलाए जाते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया से चट्टानों के क्षरण को तेज किया जाता है।
- ओशन फर्टिलाइजेशन: इसमें समुद्री पादपप्लवकों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए समुद्री जल में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, ताकि वे अधिक CO₂ को अवशोषित करके उसे गहरे सागर में जमा कर सकें।
- अन्य विधियाँ:
 - बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर के तहत समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र का उपयोग किया जाता है और
 - ब्लू कार्बन सिंक में वृद्धि करना जैसे मैंग्रोव का प्रसार करना।

महासागर-आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) के प्रमुख लाभ

- दीर्घकालिक भंडारण: महासागर क्षारीयता संवर्धन जैसी तकनीकें कार्बन को 100,000 वर्षों तक संग्रहीत (स्टोर) कर सकती हैं।
- विशाल भंडारण क्षमता: महासागर सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक हैं, जो वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन को संग्रहित करते हैं।
- सुरक्षा और विस्तार की क्षमता: समुद्र के नीचे तापमान कम और दबाव अधिक होता है, जिससे CO₂ तरल रूप में स्थिर रहती है। इससे लीकेज और भूजल संदूषण का खतरा बहुत कम हो जाता है।
- कार्बन उपयोग: कैप्चर की गई CO₂ को औद्योगिक उपयोग के लिए फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बायोपॉलीमर आदि का उत्पादन शामिल हैं।
- जलवायु परिवर्तन शमन: इससे 2060 तक वैश्विक CO₂ उत्सर्जन में 14% की कमी आ सकती है।
- भारत के लिए लाभ: यह 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस संबंध में भारत के पास लंबी समुद्री तटरेखा व्यापक संभावना प्रदान करती है। इससे संधारणीय 'ब्लू ग्रोथ' सुनिश्चित हो सकती है।

यह तकनीक अभी आरंभिक अवस्था में है। वर्तमान में यह बहुत महंगी और पूंजी-प्रधान है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन आवंटन के साथ अनुसंधान, नवाचार, और विस्तृत तकनीकी-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता है।



बुसान में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक/APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने आपस में भेंट की

अमेरिका-चीन बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नजर

- अमेरिका ने चीन से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले फेंटानिल पर लगाए गए प्रशुल्क को 10% तक घटाने पर सहमति व्यक्त की।
 - फेंटानिल वस्तुतः मोर्फिन या हेरोइन की तरह एक ओपियोइड ड्रग है। यह पूरी तरह से प्रयोगशालाओं में बनती है, इसमें कोई प्राकृतिक घटक नहीं होता है।
- चीन ने दुर्लभ भू-खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण को एक वर्ष के लिए स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की।
 - दुर्लभ भू-खनिज 17 धात्विक तत्वों का समूह होता है। इसका उपयोग चुम्बकों, मिसाइलों, विमानों, कारों, रेफ्रिजरेटर्स, अन्य उच्च तकनीक वाले उपकरणों आदि में उपयोग होने वाले अन्य घटकों के निर्माण में किया जाता है।
- अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बैठक को G-2 नाम दिया। यह नाम सबसे पहले 2005 में अमेरिकी अर्थशास्त्री सी.एफ. बर्गस्टन द्वारा गढ़ा गया था।
 - G-2 की अवधारणा में अमेरिका और चीन को वैश्विक स्थिरता के सह-प्रबंधक के रूप में देखा गया है, जो इकोनॉमिक गवर्नेंस, व्यापार असंतुलन और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त जिम्मेदारी निभाते हैं।

विश्व के लिए G-2 के निहितार्थ

- क्षेत्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल: इससे चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए स्थापित किए गए क्वाड (QUAD), ऑकस (AUKUS) आदि पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका और चीन G-2 के तहत एक रणनीतिक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।
- द्विध्रुवीयता की ओर झुकाव: G-2 अमेरिका और चीन के वैश्विक शक्तियों के रूप में एकजुट होने का संकेत है। इस प्रकार दोनों देशों के द्विपक्षीय निर्णय वैश्विक मुद्दों पर बहुध्रुवीयता और ग्लोबल साउथ के हितों को कमजोर कर सकते हैं।
- चीन पर निर्भरता: यह बदलाव महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन पर वैश्विक एवं अमेरिकी निर्भरता को दर्शाता है।
- भारत के लिए निहितार्थ: अमेरिका-चीन के बीच संबंधों में सुधार से चीन को प्रतिसंतुलित करने वाले भू-राजनीतिक साधन के रूप में भारत पर अमेरिका की निर्भरता कम हो सकती है, जबकि दूसरी ओर चीन को भारत के प्रति अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

मद्रास हाईकोर्ट, क्रिप्टोकॉरेसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बना

रुतिकुमारी बनाम ज्ञानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में, न्यायालय ने एक निवेशक को सुरक्षा प्रदान की थी। गौरतलब है कि इस निवेशक की डिजिटल परिसंपत्ति एक बड़े साइबर हमले के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्रीज कर दी गई थी।

2020 में न्यूजीलैंड हाईकोर्ट ने भी क्रिप्टोकॉरेसी को डिजिटल परिसंपत्ति और ऐसी संपत्ति माना था, जिसे ट्रस्ट के तहत रखा जा सकता है।

निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- क्रिप्टोकॉरेसी की प्रकृति: न्यायालय ने माना कि यह न तो कोई मूर्त संपत्ति है और न ही यह कोई मुद्रा है। इसके विपरीत, यह एक ऐसी परिसंपत्ति है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, अपने पास रखा जा सकता है और ट्रस्ट में रखा जा सकता है।
 - न्यायालय ने संपत्ति के सिद्धांतों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों को दोहराया और कहा कि वे क्रिप्टोकॉरेसी पर भी समान रूप से लागू होते हैं।
- कानूनी स्पष्टीकरण: न्यायालय ने माना कि भारतीय कानून के तहत, क्रिप्टोकॉरेसी को वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सट्टा लेन-देन नहीं माना जाता है।
- RBI प्रतिबंध पर स्पष्टीकरण (2018): इस पर न्यायालय ने कहा कि RBI ने वर्चुअल मुद्राओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया था, बल्कि इसने केवल बैंकों को उनके व्यापार की सुविधा देने से रोका था।

निर्णय का महत्व

- विनियामक अस्पष्टता को दूर करना: यह फैसला डिजिटल परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से स्वामित्व योग्य संपत्तियों के रूप में ऐतिहासिक न्यायिक स्वीकृति प्रदान करता है।
- निवेशकों की सुरक्षा: इसके कारण निवेशक एक्सचेंज-आधारित नुकसान-साझाकरण योजनाओं पर निर्भर रहने की बजाय बैंक गारंटी जैसे पारंपरिक परिसंपत्ति उपचारों की मांग कर सकते हैं।

क्रिप्टोकॉरेसी क्या है?

- यह एक लेन-देन का माध्यम है, जिसे ब्लॉकचेन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया और संग्रहीत किया जाता है। इसके लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों और एल्गोरिदम का उपयोग होता है। उदाहरण: बिटकॉइन।
- इसका कोई भौतिक रूप या आंतरिक मूल्य नहीं होता, और यह केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।

भारत में क्रिप्टोकॉरेसी से संबंधित कानूनी विकास

2018

RBI ने क्रिप्टोकॉरेसी को बैंकिंग सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया।

2020

सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि यह अनुपातहीन है और अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।

2022

वित्त अधिनियम ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया और 30% टैक्स + 1% TDS लागू किया।

2023

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भी लागू किया गया, जिससे KYC अनिवार्य हो गई।

सभी स्कूलों में कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (AI व CT) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा

शिक्षा मंत्रालय एक सार्थक और समावेशी AI व CT पाठ्यक्रम तैयार करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ CBSE, NCERT, KVS, और NVS जैसी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है। इस पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (NCF SE) 2023 के अंतर्गत तैयार किया जाएगा।

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने AI और CT पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- शिक्षकों को प्रशिक्षण और लर्निंग-टीचिंग सामग्री की उपलब्धता के लिए निष्ठा (NISHTHA) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। यह पूरे पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की आधारशिला बनेगा।

शिक्षा में AI और CT की भूमिका

- कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का विकास: यह एक समस्या-समाधान दृष्टिकोण है, जिसमें जटिल समस्या को समझकर और उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर ऐसे हल खोजे जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर एक्जिक्यूट कर सके।
 - इसमें निम्नलिखित चार मुख्य तकनीकें शामिल होती हैं:
 - विभाजन: जटिल समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना।
 - पैटर्न को पहचानना: समस्याओं में पैटर्न या समानताएं पहचानना।
 - पृथक्करण (Abstraction): केवल जरूरी जानकारी पर ध्यान देना और बाकी को छोड़ देना।
 - एल्गोरिदम: चरण-दर-चरण समाधान तैयार करना, जिसे कंप्यूटर समझ सके।
- आधारभूत कौशल: शुरुआती कक्षाओं में AI के सिलेबस को शामिल करने से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक विवेक और नैतिक समझ विकसित होगी।
 - छात्र प्रौद्योगिकी को समझना और उस पर प्रश्न करना सीखेंगे। साथ ही, ऐसे कौशल विकसित करेंगे, जो डिजिटल युग में साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के समान ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
- भविष्य के लिए तैयारी: जैसे-जैसे ऑटोमेशन उद्योगों को रूपांतरित कर रहा है, AI का पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि अगली पीढ़ी तेजी से बदलते रोजगार के बाजार के लिए सक्षम और अनुकूल हो सके।

भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भारत के पांच बड़े शहरों के समक्ष भू-धंसाव का खतरा उत्पन्न हो गया है

एक अध्ययन में 2015 से 2023 तक के सैटेलाइट रडार डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-NCT), मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में भू-धंसाव की गंभीर समस्या देखी गई है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

➤ **प्रभाव:** यह समस्या लगभग 80 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है। इसमें दिल्ली में भू-धंसाव की दर सबसे अधिक 51 मिमी प्रति वर्ष दर्ज की गई है।

➤ **स्थानीयकृत उत्थान:** अध्ययन में कुछ शहरों में स्थानीयकृत उत्थान की पहचान की गई, जैसे दिल्ली में द्वारका के पास के क्षेत्र।

भू-धंसाव (Land Subsidence) के बारे में

➤ **अर्थ:** यह भूमि की सतह के नीचे स्थित पदार्थों के संचलन, भूमि पर भार के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव या इन दोनों के संयोजन के कारण घटित होता है। इसके परिणामस्वरूप, पृथ्वी की सतह धीरे-धीरे नीचे बैठने या अचानक से धंसने लगती है।

➤ **प्राथमिक कारक:** अत्यधिक भूजल पम्पिंग, बड़े पैमाने पर खनन, तीव्र शहरीकरण, भूपर्पटी में प्राकृतिक हलचल आदि।

➤ **भू-धंसाव वाले क्षेत्र:** असम और सिक्किम के आसपास के क्षेत्र (फॉल्ट गतिविधि व हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण के कारण), जोशीमठ एवं मसूरी जैसे हिमालयी शहर (अनियमित विकास के कारण), आदि।

भू-धंसाव के प्रभाव

➤ **अवसंरचना पर प्रभाव:** अध्ययन के अनुसार दिल्ली में 2000 से अधिक इमारतें असमान भू-धंसाव के कारण गंभीर क्षति के जोखिम में हैं।

➤ **तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव:** इन क्षेत्रों में लवणीय जल का प्रवेश बढ़ जाता है, जिससे ताजा जल दूषित होने लगता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है।

➤ **आपदाएं:** इमारतों में दरारें आ जाती हैं या वे ढह जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, और जल निकासी नेटवर्क अव्यवस्थित हो जाते हैं। इससे अक्सर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है।

➤ **दीर्घकालिक पारिस्थितिक जोखिम:** यह नदी के प्रवाह को बदल देता है; जलीय और स्थलीय पर्यावासों को प्रभावित करता है, तथा पीटभूमि व दलदल से कार्बन उत्सर्जन को तीव्र कर सकता है।

भू-धंसाव को रोकने के उपाय

➤ **नवोन्मेषी समाधान:** सूख चुके जलभृतों का कृत्रिम पुनर्भरण; भूमि में स्थिरीकरण अभिकारकों को डालने वाली डीप साइल मिक्सिंग आदि।

➤ **उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियां:**

- ⊗ PSInSAR- पर्याप्त स्थिर संरचनाओं वाले शहरों के लिए,
- ⊗ SBAS-InSAR- कृषि या वनस्पति वाले क्षेत्रों के लिए, और
- ⊗ SqueeSAR- पहाड़ी इलाकों के लिए आदि।

अन्य सुर्खियां



भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI)

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें CJI के रूप में नियुक्त किया। वे वर्तमान CJI बी.आर. गवई का स्थान लेंगे।

CJI की नियुक्ति

➤ **केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय** सेवानिवृत्त हो रहे CJI से अगले CJI की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने का आग्रह करता है और मौजूदा CJI पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करता है।

⊗ हालांकि, अतीत में तीन बार ऐसे अवसर आए हैं जब वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था।

➤ CJI की सिफारिश प्राप्त करने के बाद, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री इसे प्रधान मंत्री के पास भेजता है। इसके उपरांत प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति के मामले में सलाह देता है।



डिजी बंदर (Digi Bandar)

इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान डिजी बंदर को भारतीय बंदरगाहों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे के रूप में लॉन्च किया गया।

➤ **उद्देश्य:** बंदरगाहों को डेटा-संचालित व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम बनाना और आपस में जोड़ना, ताकि उनकी कार्यक्षमता, सुरक्षा एवं पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

➤ **मुख्य फोकस:**

- ⊗ पूर्वानुमान आधारित लॉजिस्टिक्स (Predictive Logistics);
- ⊗ डिजिटल ट्रिगर्स;
- ⊗ बंदरगाह संचालन में ऑटोमेशन लागू करना आदि।



चाबहार पोर्ट

भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर छह महीने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली।

चाबहार पोर्ट के बारे में

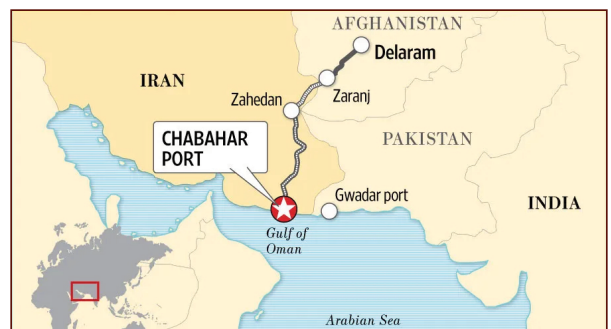
➤ **अवस्थिति:** यह पोर्ट ईरान के दक्षिण-पूर्वी भाग में सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास स्थित है।

➤ यह ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है, जो ईरान को महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करता है।

➤ **चाबहार पोर्ट परियोजना** में दो टर्मिनल हैं: शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी।

➤ यह ईरान का ऐसा पोर्ट है, जो भारत के सबसे नजदीक है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुंच प्रदान करता है।

➤ यह पोर्ट प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा है। INSTC हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और फिर उत्तरी यूरोप से जोड़ता है।





द्वितीयक प्रतिबंध (Secondary Sanctions)

संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा भारतीय रिफाइनरों द्वारा रूस से तेल आयात पर प्रभाव डाल सकता है।

द्वितीयक प्रतिबंध के बारे में

- ▶ प्राथमिक प्रतिबंध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध शामिल होते हैं (जैसे, लक्षित देश पर व्यापार प्रतिबंध) जबकि द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे देशों (तृतीय पक्ष) को दंडित करते हैं, जिससे वे लक्षित देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाते हैं।
- ▶ ये प्राथमिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने का काम करते हैं और इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है।
- ▶ उदाहरण के तौर पर, अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध (प्राथमिक प्रतिबंध) लगाए और भारतीय रिफाइनरों ने ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया (द्वितीयक प्रतिबंध)।



पारिस्थितिक सूखा (Ecological Droughts)

IIT खड़गपुर के एक अध्ययन में बताया गया है कि पश्चिमी घाट, हिमालय और उत्तर-पूर्व के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वन क्षेत्र, साथ ही मध्य भारत की खेती वाली भूमि, अब तेजी से पारिस्थितिक सूखे का सामना कर रहे हैं।

- ▶ पारिस्थितिक सूखा क्या है: यह एक ऐसी स्थिति है, जब लंबे समय तक नमी की कमी बनी रहने से पारिस्थितिकी-तंत्र की संरचना, जैव विविधता और कार्बन संतुलन बिगड़ जाते हैं।
- ▶ कारण: यह प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे- लंबे समय तक वर्षा की कमी, तापमान में वृद्धि, महासागरों का गर्म होना, वायुमंडल में बढ़ती शुष्कता आदि।
- ▶ प्रभाव: पौधों की वृद्धि में कमी, स्थानीय प्रजातियों का विलुप्त होना आदि।
- ▶ सूखे के अन्य प्रकार:
 - ⊙ मौसम संबंधी सूखा (Meteorological);
 - ⊙ कृषि संबंधी सूखा (Agricultural);
 - ⊙ जल संबंधी सूखा (Hydrological); तथा
 - ⊙ सामाजिक-आर्थिक संबंधी सूखा (Socio-Economic)



कुनिंग जैव विविधता कोष (KBF)

हाल ही में, 7 देशों को कुनिंग जैव विविधता कोष (KBF) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

KBF के बारे में

- ▶ यह एक मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड (MPTF) है, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में कुनिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (KMGBF) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई का समर्थन करता है।
- ⊙ KMGBF एक गैर-बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसे 2022 में मॉन्ट्रियल (कनाडा) में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के CoP-15 में अपनाया गया था।
- ⊙ इसमें 2050 तक के लिए 4 प्रमुख लक्ष्य और 2030 तक के लिए 23 विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं।
- ▶ KBF की स्थापना चीन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में की गई है। इसमें जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के सचिवालय (SCBD) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की भागीदारी है।



आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS)

पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से MYGS पहल शुरू की गई है।

MYGS के बारे में

- ▶ यह एक पथ प्रदर्शक पहल है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी को मजबूत करना और स्थानीय शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें छात्रों को सिमुलेटेड ग्राम सभा सत्रों में शामिल किया जाता है।
- ▶ यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है और इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRSs) और राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जाएगा।
- ⊙ JNVs ऐसे आवासीय स्कूल होते हैं, जिन्हें NEP 1986 के तहत ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
- ⊙ EMRSs का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और अनुसूचित जनजाति के कम-से-कम 20,000 लोग रहते हों।

मुख्य उद्देश्य

- ⊙ छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में शिक्षित करना
- ⊙ ग्राम सभाओं और स्थानीय शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- ⊙ स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए नेतृत्व संबंधी कौशल विकसित करना
- ⊙ वास्तविक जीवन में गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियों की समझ को बढ़ावा देना



उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार संशोधन का कार्य कर रहा है। साथ ही, उसने आवास सूचकांक की संकलन पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

- ▶ CPI के एक भाग के रूप में, आवास एक प्रमुख घटक है। वर्तमान श्रृंखला में शहरी क्षेत्रों में आवास पर होने वाला खर्च कुल उपभोक्ता खर्च का 21.67% है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह हिस्सा 10.07% है।
- ▶ वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास सूचकांक तैयार नहीं किया जाता।
- ▶ CPI में अन्य क्षेत्रों का भारांश:
 - ⊙ खाद्य और पेय पदार्थ (Food & Beverages): 45.86%
 - ⊙ विविध (Miscellaneous) — जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल आदि शामिल हैं: 28.31%
 - ⊙ ईंधन और बिजली (Fuel & Light): 6.84%
 - ⊙ वस्त्र और जूते-चप्पल (Clothing & Footwear): 6.53%
 - ⊙ पान, तंबाकू और नशे वाले पदार्थ (Pan, Tobacco & Intoxicants): 2.38%

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



पसुमपोन मुतुरामलिंगा तेवर (1908-1963)

भारत के उपराष्ट्रपति ने पसुमपोन मुतुरामलिंगा तेवर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

पसुमपोन मुतुरामलिंगा तेवर के बारे में

- ▶ जन्म: तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पसुमपोन गाँव में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था।
- ▶ समुदाय: मुकुलतोर के कोन्डैयनकोट्टुई मरावर समुदाय से संबंध रखते थे, जो अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है।

मुख्य योगदान

- ▶ 1927 में राजनीति में प्रवेश किया। सुभाष चंद्र बोस उनके राजनीतिक मित्र थे।
- ▶ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ाने में मदद की।
- ▶ उन्होंने तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश आंदोलन और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द करवाने जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ▶ 1952 से 1957 तक विधायक (MLA) रहे और 1957 से 1963 तक सांसद (MP) रहे।
- ▶ अर्जित उपाधियाँ: अनक्राउंड मोनार्क; नेताजी ऑफ द साउथ; द लॉयन ऑफ द साउथ आदि।
- ▶ मूल्य: नेतृत्व, देशभक्ति, साहस, करुणा आदि।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर